पंचदश बिहार विधान सभा

षोडश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-17.04.2015 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	डा० प्रमोद कुमार सिंह, स.वि.स. श्री मंजीत कुमार सिंह, स.वि.स. श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, स.वि.स. श्री रत्नेश सादा, स.वि.स. श्री अरूण मांझी, स.वि.स. श्री अशोक कुमार सिंह, स.वि.स. श्री अभिराम शर्मा, स.वि.स. श्री जनार्दन मांझी, स.वि.स. श्री हरिनारायण सिंह, स.वि.स. श्री मनीष कुमार, स.वि.स. श्री जाकिर हुसैन खान, स.वि.स. श्री पन्ना लाल सिंह "पटेल", स.वि.स.	"बिहार बंटवारा के बाद बिहार राज्य का आधार कृषि ही रह गया जिसके कारण सरकार ने कृषि पर ध्यान केंद्रित कर कृषि रोड मैप बनाया । राज्य के किसानों को उन्नत बीज, यंत्र, जैविक खाद, पौधे एवं अनाज के बीज उपलब्ध हों, इसके लिये अनुदान की व्यवस्था की गयी परंतु कैमूर जिला में अनुदान का लाभ किसानों को नहीं देकर अधिकारियों एवं बिचौलियों द्वारा बंदरबांट कर लिया गया । कृषि यंत्र का वितरण वास्तविक किसानों को नहीं कर फर्जी सूची के आधार पर कर दिया गया । बर्मी कम्पोस्ट बना ही नहीं और अनुदान हड़प लिया गया । एक ही व्यक्ति को बर्मी कम्पोस्ट तथा अन्य यंत्रों पर हर वर्ष अनुदान दिया जाना दर्शाया गया है । यही हाल सामुदायिक नर्सरी योजना, मूंग वितरण योजना आदि का भी है । यह स्थिति न सिर्फ कैमूर की है बल्कि पूरे राज्य की है । अतः कैमूर सहित राज्य के अन्य जिलों में कृषि यंत्रों, बर्मी कम्पोस्ट, मूंग वितरण आदि योजनाओं की जांच कराये जाने हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"	कृषि

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री संजय सिंह 'टाइगर', स.वि.स. श्री नितिन नवीन, स.वि.स. श्री अरूण शंकर प्रसाद, स.वि.स. श्री राम नरेश यादव, स.वि.स. श्री कृष्णनंदन पासवान, स.वि.स. श्री कन्हैया कुमार, स.वि.स. श्रीमती सुखदा पांडेय, स.वि.स. श्री अरूण कुमार सिन्हा, स.वि.स.	"आरा रेलवे पूर्वी गुमटी से गुठहुला, भुसौला एवं तापा जलपुरा होते हुए सकड्डी-नासरीगंज स्टेट हाईवे से जुड़ने वाली पथ निर्माण विभाग की लगभग 14 किलोमीटर लंबी सड़क सिंगल लेन की है । इस सड़क के मध्य में नदी पर एक संकरी पुलिया है, जहाँ यह सड़क सर्पाकार है । इस सड़क के सिंगल लेन होने एवं उक्त संकरी पुलिया के कारण वाहनों के आवागमन में परेशानी होती है तथा प्रायः जाम लग जाता है जिससे यात्रियों को गंतव्य स्थल तक पहुँचने में काफी समय लगता है । अतः इस सिंगल लेन की सड़क को डबल लेन में परिवर्तित करने तथा उक्त पुलिया की चौड़ाई बढ़ाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"	पथ निर्माण

हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-23/15- 785 / वि०स०, पटना, दिनांक- 16 अप्रील, 2015 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / कृषि विभाग तथा पथ निर्माण विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16/4/15

(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-23/15- 785 / वि०स०, पटना, दिनांक- 16 अप्रील, 2015 ई० ।

प्रति :- उप सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

16/4/15

(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।